बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प सं0– 5/सी0आर0–111/2008 पटना, दिनांक जनवरी, 2017

संकल्प

विषय :– भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलेखन हेतु प्रतिवेदक समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण के संबंध में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलेखन हेतु PAR Rules, 2007 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्तर के पदाधिकारी के लिए प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार द्वारा क्रमशः विभागीय संकल्प संख्या–3943, दिनांक–10.05.2012, संकल्प संख्या–6199, दिनांक–01.08.2012, संकल्प संख्या–6698, दिनांक–12.08.2014 एवं संकल्प संख्या–5477, दिनांक–18.07.2016 के द्वारा बिहार संवर्ग के कतिपय संवर्गीय एवं गैर संवर्गीय पदों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण किया गया है, किन्तु बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के कुल–07 पदधारकों यथा उप–निदेशक (पुलिस उप–महानिरीक्षक), असैनिक सुरक्षा, पुलिस अधीक्षक–सह–सहायक आयुक्त, असैनिक सुरक्षा, समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, अपर/सहायक, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, अपर/सहायक, पुलिस अधीक्षक, रेल, अपर/सहायक, पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 एवं सहायक समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण अबतक नहीं किया जा सका है।

2. राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के उपरोक्त वर्णित पदधारकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण निम्नरुपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0	प्रतिवेदित पदाधिकारी	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
1	उप निदेशक (पुलिस उप–महानिरीक्षक), असैनिक सुरक्षा	महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक, असैनिक सुरक्षा (इनमें से वरीयत्तम जिन्होंने कार्य देखा हो)	प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	मुख्यमंत्री
2	पुलिस अधीक्षक–सह–सहायक आयुक्त, असैनिक सुरक्षा	उप–महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक, असैनिक सुरक्षा (इनमें से वरीयत्तम जिन्होंने कार्य देखा हो)	महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, असैनिक सुरक्षा (इनमें से वरीयतम जिन्होंने कार्य देखा हो)	प्रधान सचिव/ सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
3	समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0	संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग (इनमें से वरीयत्तम जिन्होंने कार्य देखा हो)	प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	प्रभारी मंत्री
4	अपर/सहायक पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0	पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0	पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0	पुलिस महानिदेशक

5	अपर/सहायक पुलिस अधीक्षक, रेल	पुलिस अधीक्षक, रेल	पुलिस महानिरीक्षक, रेल	पुलिस महानिदेशक
6	अपर/सहायक पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0	पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0	पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0	पुलिस महानिदेशक
7	सहायक समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस	समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस	पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस	पुलिस महानिदेशक

3. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– **5/सी0आर0–111/2008** 550 पटना, दिनांक 18 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/पुलिस महानिदेशक, रेल/महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार/महानिदेशक असैनिक सुरक्षा/अपर महानिदेशक,गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार/अपर महानिदेशक, असैनिक सुरक्षा/अपर पुलिस महानिदेशक, रेल/अपर महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0 एस0/पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0 एफ0/पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी जिला पुलिस अधीक्षक/रेल पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0/पुलिस अधीक्षक, एस0टी0 एफ0/समादेष्टा, बिहार, सैन्य पुलिस/आई0टी0, ~~मैनेजर~~, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि संकल्प की प्रति सभी भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को अपने स्तर से परिचारित कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव।